भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 691
दिनांक 25.07.2023/ 03 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

विस्थापित लोगों का पुनर्वासः

691. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 15वें वित्त आयोग ने नदी कटाव को प्राकृतिक आपदा माना था और राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत पुनर्वास सहित पर्याप्त मुआवजे की सिफारिश की थी और यदि हां, तो उत्तरवर्ती कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) एनडीआरएफ के तहत 'कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास' और एनडीएमएफ के तहत कटाव को रोकने के लिए निवारक उपायों के लिए धनराशि आवंटन की उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति और विवरण क्या है;
(ग) कटाव प्रभावित समुदायों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत असम को आंवटित धनराशि का विवरण क्या है;
(घ) क्या केंन्द्र सरकार को असम राज्य सरकार से मांगी गई रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें राज्य के उन पीड़ितों का विवरण शामिल है जो कटाव के कारण भूमिहीन और बेघर हो गए हैं; और
(ङ) नदी कटाव के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई या उठाए जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): पंद्रहवें वित्त आयोग ने यह देखा था कि तटीय और नदीय कटाव के गंभीर प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। इसने कटाव से संबंधित दो पहलुओं अर्थात् कटाव की वजह से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास [राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत] और कटाव को रोकने के लिए उपशमन के उपाय [राष्ट्रीय आपदा उपशमन कोष (एनडीएमएफ) के तहत] पर विचार किया था।
कटाव की वजह से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को तटीय और नदीय कटाव के कारण लोगों के व्यापक विस्थापन से निपटने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए। ऐसी नीति के कार्यान्वयन हेतु, पंद्रहवें वित्त आयोग ने "रिकवरी एवं पुनर्निर्माण

हेतु एनडीआरएफ की वित्तपोषण विंडो" के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी।

राज्य सरकारें "रिकवरी एवं पुनर्निर्माण हेतु एनडीआरएफ की वित्तपोषण विंडो" के जरिए उपलब्ध संसाधनों से सहायता का अनुरोध कर सकती हैं और उन्हें लागत साझाकरण के आधार पर इन संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, कटाव के जोखिम के उपशमन हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवार्ड अवधि के लिए एनडीएमएफ से 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय आपदा उपशमन कोष (एनडीएमएफ) के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देश दिनांक 28.02.2022 को और एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए दिशानिर्देश दिनांक 12.01.2022 को जारी किए गए हैं।

(ग) कटाव-प्रभावित समुदायों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत राज्यवार निधि आवंटन की अनुशंसा नहीं की गई थी। राज्य सरकार रिकवरी एवं पुनर्निर्माण हेतु एनडीआरएफ की वित्तपोषण विंडो के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों से सहायता का अनुरोध कर सकती है और लागत साझाकरण के आधार पर इन संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

असम राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत आवंटित धनराशि और एनडीआरएफ के तहत जारी की गई धनराशि के साथ-साथ एसडीएमएफ के तहत धनराशि निम्नवार है:-

(करोड़ रूपये में)

एसडीआरएफ के तहत निधि का वर्षवार आवंटन (केंद्र और राज्य का हिस्सा)				एनडीआरएफ के तहत वर्ष-वार जारी निधि			
2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
686.40	686.40	720.80	756.80	44.37	--	250.00	--

राज्यांश सहित एसडीएमएफ के अंतर्गत निधि का वर्षवार आवंटन				एसडीएमएफ के केंद्रीय हिस्से की वर्षवार जारी निधि			
2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
171.60	171.60	180.20	180.20	154.40	154.40	--	--

(घ) और (ङ) असम राज्य से ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

******